डिस्कलेमर

आदेश संख्या 18/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/इंडो थाई/जीएच/जयपुर/सीपी-III/2022-27

आदेश संख्या 18/2023-24

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स जीसेक -इंडो-थाई ग्राउंड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड (जीसेक-इंडो-थाई) द्वारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 16.09.2023

ऐरा भवन

प्रशासनिक कॉम्पलेक्स

सफदरजंग हवाईअड्डा

नई दिल्ली– 110003

अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

जीसेक -इंडो-थाई के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारित करने संबंधी संगत अध्याय के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.11**	प्राधिकरण मैसर्स जीसेक-इंडो-थाई के संबंध में जयपुर अतंरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए **"लाइट टच अप्रोच के अंतर्गत टैरिफ** निर्धारित करने का निर्णय लेता है, क्योंकि विनियमित सेवा 'मटीरियल **नहीं"** समझी जाती है।	09
अध्याय संख्या 3	**3.14**	प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पिछले चार टैरिफ वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27) के लिए विमान यातायात (स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का निर्णय लेता है।	13
अध्याय संख्या 4	**4.14**	प्राधिकरण तालिका 5 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित कैपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	17
अध्याय संख्या 5	**5.16**	प्राधिकरण तालिका 7 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	22
अध्याय संख्या 6	**6.21**	प्राधिकरण मैसर्स जीसेक इंडो-थाई द्वारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय "नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों" के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओ के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक **(I,II और III)** के अनुसार टैरिफ दरों और अंतरदेशीय एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (नॉन शेड्यूल्ड प्रचालकों एवं सामान्य विमानन सहित) के लिए मदवार प्रभारों को मानने का निर्णय लेता है।	28
	6.22	प्राधिकरण यह मानने का निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।	
	6.23	प्राधिकरण यह मानने का निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	
	6.24	प्राधिकरण यह मानने का निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I,II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार न लगाया जाए।	
	6.25	प्राधिकरण यह मानने का निर्णय लेता है कि मैसर्स जीसेक-इंडो-थाई नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	

अध्याय 8 *:* आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और मैसर्स जीसेक-इंडो-थाई द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स जीसेक-इंडो-थाई ग्राउंड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवा **"मटीरियल नहीं"** है। इसलिए प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए **'लाइट टच अप्रोच'** अपनाने का निर्णय लेता है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I,II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।।

(iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय "नॉन–शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों" के लिए टैरिफ, समान श्रेणी के विमान(नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।

(v) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) मैसर्स जीसेक-इंडो-थाई ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगी और प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।

(vii) यह टैरिफ आदेश **20.09.2023** से प्रभावी होगा।

(viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री विकाश लाडिया, निदेशक,
मैसर्स जीसेक-इंडो-थाई ग्राउंड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड,
484/1, दूसरा तल, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
रणछोडलाल, नवरंगगुरा, अहमदाबाद- 380009

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. श्री विष्णु मोहन झा, मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी, जयपुर अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हवाईअड्डा रोड़, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302029